

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

संख्या 38/2025-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 645(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 9 मई, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 9 मई, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, आरंभिक पैराग्राफ में, "सम्पूर्ण सीमाशुल्क से" शब्दों के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के तहत उस पर लगने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से”।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 को लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 29/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 9 मई, 2025, को भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 9 मई, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 38/2025-Customs

G.S.R. 645(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 29/2025-Customs, dated the 9th May, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 302 (E), dated the 9th May, 2025, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, after the words “specified in the said Schedule”, the following shall be inserted, namely:-

“and from the whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the said Customs Tariff Act”.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 29/2025-Customs, dated the 9th May, 2025 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number GSR 302 (E), dated the 9th May, 2025.